छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20–61/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019–24" की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक–11 तथा परिशिष्ट–6.11 के प्रावधानों के अनुरूप ""गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना" को अधिसूचित एवं क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2019** से **"छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2019"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1 **परिचय :–**

राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों की गुणवत्ता बढ़ाने व उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना पुनः औद्योगिक नीति 2019–24 में लागू कर इस योजना में आई.एस.ओ. श्रेणी के अतिरिक्त बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क एवं यूरो मानक, जेड प्रमाणीकरण व अन्य प्रमाणनों को भी सम्मिलित किया गया है । इस योजना का लाभ केवल नवीन एवं विद्यमान उद्योगों को है ।

2 **परिभाषाएं :–**

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु परिभाषाएं, वहीं होगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के "परिशिष्ट–1" पर दी गयी हैं।

3 **पात्रता :–**

3.1 औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों, औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत परिशिष्ट–4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट–5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000, आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड (ZED) प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक एवं अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

3.2 औद्योगिक नीति 2019–24 के लागू होने के पूर्व जिन विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया है किन्तु गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं किया है, उन्हें भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000, आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड

(ZED) प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी बशर्ते कि औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत परिशिष्ट–4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट–5 में दर्शाये गये कोर सेक्टर उद्योगों की सूची में सम्मिलित न हो ।

3.3 उद्योग में "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" प्राप्त करने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार प्रदाय करना आवश्यक होगा।

3.4 इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अथवा किसी अन्य मंत्रालय/राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/ वित्तीय संस्थाओं/सिडबी बैंक से गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें पात्रता नहीं हागी ।

3.5 गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सम्मिलित समस्त प्रमाणीकरण प्रमाण पत्रों पर पृथक–पृथक अनुदान की पात्रता होगी ।

3.6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही अनुदान की पात्रता होगी ।

3.7 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने का दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक या अधिसूचना लागू करने का दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

3.8 औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज इकाईयों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर निवेशकों के वर्ग तथा उद्यम की श्रेणी के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

3.9 औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियों की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

3.10 औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका (21) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित/घोषित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी।

3.11 भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड या भारत सरकार/राज्य शासन की अधिकृत एजेन्सी से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

4 प्रक्रिया व अधिकार :–

4.1 पात्र इकाईयों को निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हो) के साथ विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0 /औद्योगिक लायसेंस /आशय पत्र

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र।

(3) **"उपाबंध–2"** अनुसार निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टड एकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र।

(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।

(5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र।

(6) **उपाबंध**–1 में निर्धारित प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र।

(7) पर्यावरणीय सम्मति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(8) स्वामित्व के प्रकरणों में इकाई स्वामी का तथा भिन्न प्रकरणों में इकाई के पेन कार्ड की प्रति।

4.2 अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में, प्रकरण में कमियॉ एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे तथा उपरांकित बिन्दु क्र. 4.1 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता होने पर उसकी प्रति निरीक्षण के समय प्राप्त की जावेगी।

4.3 मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों अथवा सेवा उद्यमों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण व स्थल निरीक्षण कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर **"उपाबंध–3"** में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेष से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

4.4 मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई के आवेदन का निराकरण 30 दिवसों के भीतर करना सुनिश्चित किया जावेगा तथा स्वीकृति आदेश/निरस्तीकरण आदेश ऑनलाईन अपलोड किया जावेगा।

4.5 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

4.6 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी। अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

4.7 बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) पद्धति अथवा एनईएफटी, तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

4.8 बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

4.9 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का आबंटन अग्रिम रूप से भी किया जा सकेगा ।

4.10 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा–रा/ 2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 अथवा तत्समय लागू परिपत्र/निर्देश/ आदेश के अनुसार की जावेगी ।

5 अनुदान की मात्राः–

5.1 आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000, आई.एस.ओ. –22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु सामान्य वर्ग के उद्यमियों/एफपीओ को किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अप्रवासी भारतीय /प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी को व्यय का 55 प्रतिशत एवं राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/राज्य के महिला स्व–सहायता समूह/ तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमी को किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु होगी ।

5.2 अनुदान की अधिकतम सीमा सामान्य वर्ग के उद्यमियों/एफपीओं हेतु रू. 5.00 लाख, अप्रवासी भारतीय /प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजना प्रारंभ करने वाले उद्यमी निवेशकों हेतु रू. 5.25 लाख एवं राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी/ राज्य के महिला स्व–सहायता समूह/ तृतीय लिंग/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों हेतु रू. 5.50 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु होगी ।

5.3 औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.12 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं,

उपरोक्त से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा व अनुदान की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी।

5.4 यदि कोई इकाई उपरोक्तानुसार दो या अधिक श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में सामान्य वर्ग के उद्यमी की तुलना में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत् अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी।

5.5 गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क, अंकेक्षण शुल्क, निर्धारण शुल्क, वार्षिक शुल्क, लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश व्ययों की गणना में नहीं किया जावेगा)।

6 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

6.1 औद्योगिक इकाई को गुणवत्ता अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षो तक उद्योग चालू रखना होगा ।

6.2 उपरोक्त (1) की अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 **3.3** में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

7 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वसूली :–

7.1 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को स्वीकृत/वितरित हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी ।

7.2 उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू–राजस्व बकाया की भांति की जा सकेगी ।

7.3 स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की राशि भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

7.4 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 3.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है, अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

7.5 यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं, तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

7.6 उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

7.7 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

7.8 यदि औद्योगिक इकाई अधिसूचना में निहित दायित्वों की पूर्ति न करें।

7.9 उपर्युक्त बिन्दु 6.1 से 6.8 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

8 अपील /वाद :-

8.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी ।

8.2 अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी।

8.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क प्रत्येक स्तर पर रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में प्रत्येक स्तर पर रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

8.4 अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

8.5 अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

9 स्वप्रेरणा से निर्णय :-

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ इन नियमों के तहत आवेदित/स्वीकृत प्रकरणों के किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

10 कार्यकारी निर्देश :

अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

11 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

13 **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

उपाबंध–1

शपथ पत्र

मैं .... आत्मज................................ प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................... में स्थित है व प्रस्तावित पंजीयन क्र./ ई0एम0पार्ट–1 कमांक/उद्योग आकांक्षा क्र. ....दिनांक .... एवं लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र क्र./ई0एम0पार्ट–2 प्रमाण पत्र कमांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ दिनांक .... है, निम्नानुसार घोषणा करता हूँ–

1– औद्योगिक इकाई .... द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत् .... प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार /राज्य शासन/ वित्तीय संस्थाओं /बैंकों की किसी योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं किया है

3– औद्योगिक इकाई द्वारा उक्त प्रमाणीकरण प्राप्ति उपरांत भारत सरकार /राज्य शासन के अन्य किसी विभाग/निगम/मंडल/संस्था/ वित्तीय संस्थाओं में गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही किया जावेगा ।

4– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" प्राप्त करने के दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुषल, कुषल एवं प्रशासकीय/प्रबंधकीय वर्ग में न्यूनतम क्रमषः 100 प्रतिषत, 70 प्रतिषत एवं 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण स्वीकृति आदेष निरस्त कर अनुदान की राषि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राषि मय निर्धारित 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

"उपाबंध–2"

(नियम 4.1 (3)

(गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित किये गये व्ययों से संबंधित प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर, मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री................ में स्थित है, जिसका ई.एम.पार्ट–1/उद्यम आकांक्षा क्रमांक .... दिनांक .... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक................ दिनांक .... है, ने गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र .... प्राप्त किया है जिस पर दिनांक..........................तक किया गया व्यय रूपये............. ....(अक्षरों में).......................... निम्नानुसार शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है ।

क0	विवरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किया गया व्यय	प्रमाणन एजेंसी/ संस्था जिसे भुगतान किया गया है	व्यय की गई राशि	भुगतान की गयी राषि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रषिक्षण व्यय.			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति शुल्क			
7	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
पंजीयन पत्र क्रमांक

उपाबंध–3

(नियम 4.3)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेष

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2019** के नियम कमांक "4.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन .... **प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र हेतु** निम्नानुसार **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है :–

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का संगठन :

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता :

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल :
(स्थान, विकास खंड व जिला) :

7– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किया गया अनुमोदित व्यय

8– स्वीकृत अनुदान राषि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी–
मांग संख्या– ....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तो के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र